

दिनांक 14 व 15 जुलाई 2015 को निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण
(सूडा), उ0प्र0 की अध्यक्षता में सूडा/झूडा के माध्यम से संचालित योजनाओं की
मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

- बैठक की समीक्षा सूडा के पत्रांक— 1450/110/तीन/97-VI, दिनांक 10.07.2015 द्वारा निर्गत एजेण्डा के अनुसार रामरत परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारियों से योजनाओं की बिन्दुवार समीक्षा की गयी। समस्त जनपदों को पुनः निर्देशित किया गया कि योजनाओं की मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह की 05 तारीख तक प्रत्येक दशा में सूडा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। जिन जनपदों द्वारा निर्धारित तिथि तक मासिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करायी जाती हैं तो ऐसे जनपदों की सूची प्रस्तुत की जाय।
- मासिक समीक्षा बैठक में सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा भी प्रतिभाग किया गया तथा समस्त योजनाओं की प्रगति में प्रभावी कार्यवाही कराते हुए अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश दिये गये।
- समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि किसी भी सूचना के ई—मेल प्रेषण में विषय एवं जनपद का नाम जरूर अंकित किया जाय।

(कार्यवाही सूडा/समस्त झूडा)

बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजना

- आई0एच0डी0पी0/बी0एस0यू0पी0 के अंतर्गत मूल्यवृद्धि के पश्चात् जिन जनपदों के प्रस्ताव स्वीकृत हो गये हैं, को निर्देशित किया गया कि तत्काल घनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त कर दें ताकि कार्य शीघ्र प्रारम्भ हो सके। इसके अतिरिक्त मुख्यालय स्तर पर परियोजनावार/संस्थावार अलग से बैठक कराकर आकड़ों का मिलान कराने के भी निर्देश दिये गये।
 - बैठक में कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ होने की सूचना सूडा एवं झूडा को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें।
- समस्त संबंधित जनपदों को निर्देशित किया गया कि जिन जनपदों द्वारा मकानों के आवंटन की कार्यवाही अभी प्रारम्भ नहीं की गयी, तत्काल मकान के आवंटन की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें एवं आगामी मासिक समीक्षा बैठक में आवंटन के संबंध में पूर्ण विवरण लेकर उपस्थित हों। जनपदों को यह भी निर्देशित किया गया कि कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व व कार्य समाप्ति होने के फोटोग्राफ संबंधित पत्रावली में अवश्य संरक्षित किये जायें।
- (कार्यवाही सूडा/संबंधित झूडा/कार्यदायी संस्था)

- समस्त संबंधित जनपदों को निर्देशित किया गया कि बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत 50 बन्दुओं पर एम0पी0आर0 भेजे जाने के संबंध में योजना से आच्छादित रामरत जनपदों के पारियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अगले माह से प्रत्येक दशा में माह की 05 तारीख तक एम0पी0आर0 उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित पटल आख्या प्रेषित न करने वाले जनपदों का विवरण पत्रावली पर प्रस्तुत करें।

- संबंधित जनपदों के परियोजना अधिकारी/सहायी परियोजना अधिकारी को यह भी निर्देशित किया गया कि बी०एस०य०पी०/आई०एच०एस०डी०पी० योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाले आवासों एवं अवस्थापना कार्यों की गुणवत्ता व आवास आवंटन के संबंध में प्रत्येक माह परियोजना रथल का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या प्रत्येक माह की 07 तारीख तक ई-मेल के माध्यम से सूड़ा को अवश्य प्रेषित किया जाय।

(कार्यवाही सूड़ा/संबंधित झूड़ा)

राजीव आवास योजना

राजीव आवास योजना की परियोजनावार प्रगति की समीक्षा की गयी। कार्यदायी संस्था द्वारा अगवत कराया गया कि जनपद आगरा, मुजफ्फर नगर, मेरठ, फिरोजाबाद में आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है तथा गाजियाबाद एवं अलीगढ़ शहरों में कार्य धीमा होने के दृष्टिगत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये गये। बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था सी० एण्ड डी०एस० के प्रतिनिधि को स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत तत्काल कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित की गई समय सारिणी/वर्क प्लान के अनुसार कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। संबंधित जनपदों एवं कार्यदायी संस्था को कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये गये। जनपदों को यह भी निर्देशित किया गया कि कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व व कार्य समाप्ति होने के फोटोग्राफ संबंधित पत्रावली में अवश्य संरक्षित किये जायें। इसके अतिरिक्त जिन शहरों में कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ उनको शीघ्र एम०ओ०य० कैरा कर कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही-सूड़ा/संबंधित झूड़ा/कार्यदायी संस्था)

आसरा योजना

- योजना की समीक्षा में इसकी प्रगति पर असंतोष प्रकट किया गया, अद्यतन कुल स्वीकृत 23786 आवासों के सापेक्ष 9726 पर कार्य प्रारम्भ है। प्रारम्भ उद्घासों के सापेक्ष मात्र 3794 आवास ही पूर्ण है (जिन पर कुछ कार्य किया जाना शेष है) एवं शेष विभिन्न स्तर पर निर्माणाधीन है। इस प्रकार स्वीकृत आवासों के सापेक्ष प्रारम्भ आवासों का प्रतिशत 40.88 प्रतिशत है। प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया। कार्यदायी संस्था के उपस्थित प्रतिनिधि को अवगत कराया गया कि योजना की विकास एजेण्डा के अंतर्गत मुख्य संचिव, उ०प्र० शासन द्वारा प्रत्येक माह समीक्षा की जा रही है एवं मुख्य संचिव महोदय द्वारा तत्काल वांछित प्रगति लाने हेतु निर्देश दिये जा रहे हैं। कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया तत्काल कार्य प्रारम्भ कराते हुये अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित किया जाय एवं कार्यों में विलम्ब के लिए किसी भी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।
- बैठक में यह में निर्देश दिये गये कि जो प्रस्ताव स्वीकृत हो गये हैं परन्तु विवाद या किसी अन्य कारण से वहाँ कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है तो उसके स्थान पर नये रथल का चयन कर वहाँ नियमानुसार कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।
- आसरा योजनान्तर्गत निःशुल्क भूमि न उपलब्ध होने के कारण इन-सीटू आवास निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-1833/69-1-14-14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 09.09.2014 निर्गत किया जा चुका है। उक्त संबंध में जनपदों एवं कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि जहाँ इन-सी-टू आवासों की डी०पी०आ०० तैयार नहीं हो पायी है वे शीघ्र कार्यवाही कर उक्त डी०पी०आ०० तैयार कराना सुनिश्चित करें।

आसरा योजनान्तर्गत सम्बन्धित जनपदों को शीघ्र धनराशि अवमुक्त कर शीघ्र कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये।

J.

- समस्त संबंधित जनपदों को पुनः निर्देशित किया गया कि जिन जनपदों द्वारा मकानों के आवंटन की कार्यवाही अभी प्रारम्भ नहीं की गयी, तत्काल मकान के आवंटन की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें एवं आगामी मासिक समीक्षा बैठक में आवंटन के संबंध में पूर्ण विवरण लेकर उपस्थित हों।

(संबंधित छूड़ा/कार्यदायी संस्था)

रिक्षा योजना

योजना की समीक्षा के दौरान निदेशक द्वारा इस तथ्य की ओर इंगित किया गया कि अभिकरण मुख्यालय रत्तर से विगत 19.05.2015 को प्रदेश से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों के समस्त संस्करणों में विज्ञापन कर यह उल्लेख प्रकाशित किया गया था, कि जिन पत्र आवेदकों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है उन्हें अवसर पुनः प्रदान किया जाता है। वंचित रह गए आवेदक दिनांक 29.5.2015 तक निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन पत्र जनपदीय छूड़ा कार्यालय/नगर निकाय कार्यालय पर प्रस्तुत कर सकते हैं। विज्ञापन में निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप सम्बन्धित छूड़ा कार्यालय/नगर निकाय कार्यालय से प्राप्त किया जाना अथवा सूडा की वेब-साइट www.sudaup.org पर भी उपलब्ध होना सूच्य था।" इस सम्बन्ध में समस्त जिलाधिकारियों को पत्रांक-846 दिनांक 03.06.2015 के द्वारा सूच्य तालिका पर समस्त जनपदों में अद्यतन घयनित पत्र लाभार्थियों की सांख्या सूचित किये जाने हेतु पत्र निर्गत किया गया था। उल्लेखनीय है कि यह योजना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में समस्त परियोजना अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये गये कि घयनित लाभार्थियों की अद्यतन सूची की साफ्ट प्रति (अल्पसंख्यक/अनुसूचित जाति के उल्लेख सहित) एक सप्ताह के अन्दर ई-मेल के माध्यम से सूडा मुख्यालय पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

रिक्षा चालकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना एवं निजी रिक्षा बीमा योजना

- पूर्व वर्षों से संचालित, "रिक्षा चालकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना एवं निजी रिक्षा बीमा योजना" के अंतर्गत समीक्षा बैठक के एजेंडा में उल्लिखित वांछित विन्दुवत् सूचना जनपदों से अनवरत कड़े निर्देश के बाद भी नहीं दी जा रही है। यह रिथति अत्यन्त आपत्तिजनक है। निदेशक महोदय द्वारा सधेत करते हुए पुनः निर्देशित किया गया कि उक्त कल्याणकारी योजना से लाभान्वित किये जाने हेतु (पूर्व में एक मुश्त 10 वर्ष हेतु बीमित) लाभार्थियों को जानकारी प्रदान किये जाने के लिए समुचित प्रचार-प्रसार किया जाये। अपेक्षित सूचना जानकारी तत्काल मुख्यालय प्रेषित की जाय।

(कार्यवाही-सूडा/संबंधित छूड़ा)

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

मासिक समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त में यह निर्देशित किया गया था कि सभी जनपद के जनसूचना अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर जनपदों में प्राप्त आवेदन पत्रों पर समयानुसार आवश्यक कार्यवाही करें, अन्तरण के प्रकरणों को निर्धारित समयावधि के अन्दर सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दें। जनपदों को यह भी निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक माह में प्राप्त आवेदन पत्रों एवं कृत कार्यवाही का विवरण नियमित रूप से अभिकरण मुख्यालय पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। खेद का विषय है कि जनपदों द्वारा अपेक्षित सूचना प्रेषित नहीं की गयी है। अभिकरण मुख्यालय पर अनापेक्षित प्रथम अपीलों के योजित होने के परिप्रेक्ष्य में यह निर्देश दिये गये कि जनपद स्तर से

यथा समय आवेदन पत्रों का निरतारण न किये जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः यह निर्देशित किया कि जनसूचना अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर आवेदन पत्रों का यथा समय निस्तारण करें।

(कार्यवाही—जनसूचना अधिकारी/नोडल अधिकारी जनसूचना, सूडा)

अर्बन स्टेटिटिक्स फॉर एव आर एण्ड एसेसमेंट्स (USHA)

प्रश्नगत योजना के परिपेक्ष्य में विगत दिनांक 15 एवं 16 अपैल 2015 को सम्पन्न मासिक समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 24.04.2015 में यह सुस्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि भारत सरकार के आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के द्वारा निर्गत दिशानिर्देश के अनुरूप जिन जनपदों में स्लम प्रोफाइल से सम्बन्धित सुनिश्चित प्रारूप 1 पर सर्वेक्षित सूचना संग्रहित नहीं की गयी है या जहां सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्य अपूर्ण है उन रामी शहरों में स्लम प्रोफाइल प्रारूप को सम्भिलित करते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर 15 दिनों के अन्दर ऑनलाइन डेटाफाइंग हेतु नामित संस्था (अप्ट्रान) के प्रतिनिधि को सर्वेक्षण प्रारूप की हार्ड कॉपी उपलब्ध करा दी जाये। यह भी निर्देशित किया गया था कि समयबद्ध अनुपालन न किये जाने की स्थिति में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कड़ी प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी। बैठक से पूर्व एवं इसके पश्चात भी अभिकरण स्तर से सभी जनपदों को सुस्पष्ट निर्देश पृथक से भी निर्गत किये गये।

खेद का विषय है कि सम्प्रति मासिक समीक्षा बैठक में समीक्षा के दौरान ऑनलाइन डेटा फीडिंग हेतु अभिकरण द्वारा नामित संस्था अप्ट्रान के प्रतिनिधि तथा सर्वेक्षण प्रारूप एकत्र कर फीडिंग किये जाने हेतु अप्ट्रान द्वारा अधिकृत संस्था के प्रतिनिधि द्वारा यह वस्तुस्थिति संज्ञान में लाई गई है कि सुरपष्ट निर्देश के बावजूद भी जनपदीय ढूड़ा द्वारा निर्देशों का अनुपालन न करते हुए अद्यतन फीडिंग हेतु फॉर्मेट्स हस्तगत नहीं कराये जा सके हैं, यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक फायदी गयी है।

निदेशक महोदय द्वारा विगत दिनों भारत सरकार के योजना से सम्बन्धित नोडल अधिकारी के स्तर से इस सम्बन्ध में किये जा रहे सतत अनुश्रवण एवं प्रश्नगत कार्य में कतिपय शिथिलता के सम्बन्ध में महालेखाकार की सम्प्रेक्षा टिप्पणी को भी इंगित करते हुए निर्धारित सूचना तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

उक्त कम में पुनः यह निर्देशित किया गया कि समस्त जनपद विलम्बतम 15 दिन के अन्दर स्लम प्रोफाइल के सुनिश्चित प्रारूप पर सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कराकर भरे गये प्रारूप नामित संस्था के प्रतिनिधि को ऑनलाइन डेटाफाइंग हेतु उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। अनुपालन न किये जाने की स्थिति में व्यक्तिगत दायित्व निर्धारित करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाही—समस्त सम्बन्धित ढूड़ा)

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन०य०एल०एम०)

- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उप घटक शहरी बेघरों के लिए जिन शहरों से निःशुल्क भूमि अप्राप्त है उनको शीघ्र ही भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए डी०पी०आ०२० तैयार करने के पुनः निर्देश दिये गये। इस संबंध में कार्यदायी संस्था को भी निर्देशित किया गया कि जहां भूमि प्राप्त हो गयी है वहां की डी०पी०आ०२० शीघ्र तैयार कराकर मुख्यालय को प्रस्तुत करें। बैठक में कार्यदायी संस्था को यह भी निर्देशित किया गया कि जिस शहर के प्रस्ताव स्वीकृत हो गये है तथा कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है, में 10 दिन में कार्य प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करें।

- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उप घटक शहरी बेघरों के लिए आश्रय की योजना (Scheme of Shelter for Urban Homeless (SUH) के अंतर्गत जनपदों को अवगत कराया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में स्टियाविका (सिविल) संख्या—55/2003 संलग्न रिट याविका (सिविल) संख्या—572/2003, ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य विद्वाराधीन है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण की सघन मानीटरिंग की जा रही है तथा सगय—समय पर आदेश दिये जा रहे हैं। रिट याविका (सिविल) संख्या—572/2003 के संदर्भ में स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के अंतर्गत शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना के अंतर्गत आश्रय उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुये तत्काल पर्याप्त संख्या में आश्रय के निर्गमन के लिए निर्देश दिये गये हैं, जिसके दृष्टिगत यह आवश्यक है कि शहरी बेघरों के लिए आश्रय निर्माण के प्रस्ताव (ई0पी0आर0) एनयूएलएम के अंतर्गत सभी चयनित शहरी निकायों से शहरी बेघरों के लिए आश्रय के प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु उक्त आदेश का अनुपालन शीघ्र सुनिश्चित किये जाने के निर्देश पुनः दिये गये। जिन शहरों में अभी तक आश्रय हेतु भूमि की उपलब्धता नहीं हो पायी है वहां विभिन्न सरकारी विभागों यथा—स्वास्थ्य, परिवहन एवं अन्य विभागों को सम्पर्क/समन्वय कर भूमि/भवन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि 05 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर प्राथमिकता के आधार पर भूमि/भवन की उपलब्धता स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित करते हुये तत्काल प्रस्ताव उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही—सूडा/संबंधित दूडा/कार्यदायी संस्था)

- शहरी पथ विकेतोओं को सहायता (Support to Urban Street Vendor(SUSV)) के संबंध में नगर निगम वाले शहरों को निर्देशित किया गया कि शहरी पथ विकेतोओं की पंजीकृत सूची अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही—सूडा/संबंधित दूडा/स्थानीय निकाय निदेशालय)

- स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP) के अंतर्गत एन0यू0एल0एम0 के चयनित शहरों को निर्देशित किया गया कि तत्काल बैंकों को लक्ष्य के सापेक्ष अधिक से अधिक आवेदन पत्र प्रेषित कर स्वीकृत/वितरित कराना सुनिश्चित किया जाय। सभीक्षा में समूहों ऋण की प्रगति अत्यन्त असंतोषजनक पायी गयी। सभी संबंधित शहरों को निर्देशित किया गया कि समूहों ऋण पर भी विशेष ध्यान दिया जाय एवं अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित किया जाय।
- रामस्त परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP) के अन्तर्गत बैंकों को प्रेषित किये जाने वाले आवेदन पत्रों का विवरण बैंकवार प्रत्येक माह की 05 तारीख तक ई—गेल के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- जिन शहरों हेतु सी0एल0सी0 स्वीकृत कर धनराशि सूडा द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है, उन शहरों को निर्देश दिये गये कि वे तत्काल सी0एल0सी0 का विधिवत शुभारम्भ कराते हुये निर्धारित प्रारूप पर विस्तृत आख्या तत्काल उपलब्ध करायें। बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि जो शहर सी0एल0सी0 स्थापित करना चाहते हैं वे शीघ्र प्रस्ताव तैयार कराकर मुख्यालय को प्रस्तुत करें। यह भी निर्देशित किया गया कि सी0एल0सी0 के प्रचार—प्रसार हेतु व्यापक प्रयास किया जाये।

- एन०य०एल०एम० के अंतर्गत समस्त शहरों को निर्देशित किया गया कि जिन शहरों के शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा अभी तक बैंक में खाता नहीं खोला गया है तत्काल ऐसे शहर बैंक में खाता खुलवा कर सूड़ा के लेखा पटल को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (ई०एस०टी०एण्ड पी०) के सुचारू रूप से संचालन हेतु उपस्थित सभी प्रतिनिधियों के समक्ष एम०आई०एस० का प्रस्तुतिकरण भी किया गया। इसके अतिरिक्त सभी उपस्थित जनपद के प्रतिनिधियों को एन०एस०डी०सी० के माध्यम से कराये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यों के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराये जाने के निर्देश भी दिये गये।
- कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (ई०एस०टी०एण्ड पी०) के अंतर्गत शहरों हेतु चयनित संस्थाओं से शीघ्र एम०ओ०य० एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कराते हुए ड्रेडवार लक्ष्य आवंटित करने के निर्देश दिये गये। बैठक में यह भी निर्देश दिये गये कि स्थानीय स्तर पर संस्थाओं का मूल्यांकन कर प्रशिक्षण कार्य आवंटित किया जाये तथा इस संबंध में गढ़ित समिति का निर्णय गान्य होगा।

(कार्यवाही—समस्त छूड़ा)

आई०एल०सी०एस०

- योजनान्तर्गत जिन जनपदों ने धनराशि वसूल करने हेतु वर्गीकृत पत्र नहीं जारी किया है, तत्काल आंकलन कराकर आर०सी० जारी कराना सुनिश्चित करें तथा इस संबंध में जनपद बरेली, गौतमबुद्धनगर एवं झाँसी जनपदों को एफ०आई०आर० वर्ज कराने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुश्रवण करने के निर्देश भी दिये गये।

(कार्यवाही—संबंधित सूड़ा/छूड़ा)

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना

- स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत जिन जनपदों के पास धनराशि अवशेष है तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी लंबित है, को निर्देशित किया गया कि वे एक सप्ताह में लेखा मिलान कराते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और यदि धनराशि व्यय नहीं हो पायी है तो उसे तत्काल मुख्यालय को वापस करना सुनिश्चित करें।
- स्वर्ण जयन्ती शहरी योजना के उपघटक कौशल प्रशिक्षण (स्टेप-अप) के अन्तर्गत कुल प्रशिक्षित लाभार्थियों के सापेक्ष 70 प्रतिशत लाभार्थियों का प्लेसमेन्ट किया जाना आवश्यक है। सभी संबंधित जनपद जिनका प्लेसमेन्ट 70 प्रतिशत से कम है को पुनः निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में 70 प्रतिशत प्लेसमेन्ट के लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जाय एवं आगामी बैठक में इसका विवरण भी साथ लेकर आयें।

शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों व अन्य मलिन बस्तियों में इण्टरलॉकिंग, नाली, जल निकासी एवं अन्य सामान्य सुविधा योजना

- जनपदों को निर्देशित किया गया कि तत्काल प्रथम किस्त के रूप में उपलब्ध धनराशि के 70 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं समरूप भौतिक प्रगति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि शासन को द्वितीय किस्त हेतु प्रत्याव भ्रेष्टित किया जा सके।

- उक्त योजना के अंतर्गत जनपदों को निर्देशित किया गया कि समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यों में उच्च गुणवत्ता रखी जाय। निर्माण कार्य का टास्क फोर्स से जांच करायी जाये किसी भी प्रकार की शिकायत आने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। यह भी निर्देशित किया गया कि समस्त जनपद कार्य प्रारम्भ कराने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि कार्य कराये जाने वाले स्थल पर पहले से किसी भी विभाग द्वारा कार्य न कराया गया हो और न ही भुगतान किया गया हो। इस संबंध में समस्त संबंधित विभागों से प्रमाण-पत्र भी ले लिया जाय। ढूड़ा की शासी निकाय से इसका अनुमोदन भी प्राप्त करना आवश्यक है।
- विभिन्न परियोजनाओं हेतु स्वीकृत की गयी प्रथम एवं द्वितीय किस्त की धनराशि के उपयोग के संबंध में निर्धारित प्रारूप 42-I के प्रारूप "क" एवं "ख" पर गुणवत्ता/विशिष्टियाँ /उपयोगिता प्रमाण पत्र की सूचना अवश्य उपलब्ध कराये जाने के निर्देश बैठक में दिये गये।

(कार्यवाही-संबंधित ढूड़ा)

कांशीराम शहरी दलित बाहुल्य बस्ती

- उक्त योजना के अंतर्गत जनपद मेरठ एवं वाराणसी के परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि योजनान्तर्गत लभित उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र मुख्यालय को उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही संबंधित ढूड़ा)

एस०सी०एस०पी०

- एस०सी०एस०पी० योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13 या उससे पूर्व में अवमुक्त धनराशि के अभी भी कई जनपदों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अवशेष हैं, जब कि समस्त संबंधित जनपदों को पुनः निर्देशित किया जा चुका है कि तत्काल उपयोगिता प्रमाण पत्र/धनराशि सूड़ा को उपलब्ध करायें। इस संबंध में संबंधित जनपदों को निर्देशित किया कि एक सप्ताह के अन्दर धनराशि सूड़ा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही-सूड़ा/संबंधित ढूड़ा)

बैलेन्स शीट

- वर्ष 2013-14 की बैलेन्स शीट शीघ्र प्रस्तुत करने हेतु जनपद शावरती, गोण्डा एवं मरेठ के परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि बैलेन्स शीट शीघ्र जिलाधिकारी से हस्ताक्षर कराकर बैलेन्स शीट सूड़ा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें।

(कार्यवाही-संबंधित ढूड़ा)

उक्त के अतिरिक्त बैठक में निम्नलिखित निर्देश भी दिये गये –

- समस्त जनपदों के अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि कार्यों में उच्च गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाय। गुणवत्ता यदि खराब पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था उत्तरदायी होंगे।
- कार्यदायी संस्था को यह भी निर्देशित किया गया कि डी०पी०आर० में यह सुनिश्चित किया जाये कि जो कार्य योजनान्तर्गत लिये जायें वह किसी अन्य योजना के अन्तर्गत न लिये गये हों।

- समस्त जनपदों को पुनः निर्देशित किया गया कि सूडा द्वारा समय-समय पर निर्गत होने वाले आदेश व मांगी जानी वाली सूचना सूडा की वेबसाइट www.sudaup.org पर उपलब्ध रहती है। अतः सूडा की वेबसाइट प्रति दिन देखें व वांछित सूचना समय से भेजें। यह भी निर्देशित किया गया कि कम्प्यूटर का ज्ञान नितांत आवश्यक है। अतः रामी अधिकारी व कर्मचारी कम्प्यूटर सीखें ताकि सूचना के आदान प्रदान में सुगमता रहेगी। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का समय-समय पर टेस्ट लिया जायेगा। अतः कम्प्यूटर का ज्ञान होना सुनिश्चित् किया जाये।

(कार्यवाही-समस्त छुडा)

(रौलेन्ड्र कुमार सिंह)

गिदेशक

राज्य नगरीय विकास अभियान (सूडा), उत्तर प्रदेश

पत्रांक— १७०१ / ११० / तीन / ९७ Vol-VII दिनांक— २७/७/१५

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०, लखनऊ।
 2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०।
 3. निदेशक कैम्प/वित्त नियंत्रक कैम्प, सूडा।
 4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ०प्र०।
 5. निदेशक, सी एण्ड डी०एस०, जल निगम, उ०प्र०।
 6. प्रबन्ध निदेशक, य०पी०पी०सी०एल, लखनऊ।
 7. प्रबन्ध निदेशक, य०पी०आर०एन०एन०, लखनऊ।
 8. प्रबन्ध निदेशक, य०पी०एस०के०एन०एन, लखनऊ।
 9. सूडा के समस्त अधिकारीगण व समस्त पटलप्रभारी को अनुपालनार्थ।
 10. समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, एन०य०एल०एम० शहर।
 11. समरत अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत, एन०य०एल०एम० शहर।
 12. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०।
 13. श्री योगेश आदित्य, सहाय्यपरियोजिता/देव मास्टर, सूडा को सूडा की वेबसाइट www.sudaup.org पर अपलोड करने हेतु।

(शीलेन्द्र कुमार सिंह)
गिद्धाक